भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 5

उत्तर देने की तारीख-22/07/2024

डी.एल.एड. अभ्यर्थियों की बेरोजगारी

5. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकरः

श्री संजय हरिभाऊ जाधवः

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डी.एल.एड.) को अन्य डी.एल.एड. के समतुल्य माना है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एनआईओएस प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को डी.एल.एड. का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद भी विभिन्न राज्यों में रोजगार के कोई अवसर नहीं मिले हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई गजट जारी किया है जिससे एनआईओएस के डी.एल.एड. करने वाले अभ्यर्थियों को हटाए जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है और अनेक राज्यों ने उनके निष्कासन के आदेश जारी किए हैं;

(घ) क्या यह सच है कि देश के सभी 14 लाख सरकारी/गैर-सरकारी अप्रशिक्षित शिक्षकों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई अधिनियम, 2009) के अंतर्गत 31 मार्च, 2019 तक प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक था;

(ङ) यदि हां, तो उन्हें प्रशिक्षण देने और रोजगार प्रदान करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(च) क्या शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य कर रहे उम्मीदवारों को 6 महीने की छूट दी गई थी;

(छ) यदि हां, तो एनआईओएस के अंतर्गत डी.एल. एड. के सफल प्रशिक्षण और योग्यता के बावजूद अभ्यर्थियों को रोजगार न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ज) सरकार द्वारा शिक्षक के पदों के लिए आवेदन करने हेतु पाठ्यक्रम पूरा करने वाले और आयु सीमा पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को रोजगार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(झ) सरकार द्वारा एनआईओएस से डी.एल.एड. पाठ्यक्रम पूरा करने वाले अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (झ): नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2017 में यह प्रावधान है कि दिनांक 31 मार्च, 2015 तक नियुक्त या पदस्थान पर कार्यरत प्रत्येक अध्येता जिसके पास अधिनियम में निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, उन्हें ऐसी न्यूनतम अर्हताएं दिनांक 31 मार्च, 2019 तक प्राप्त करनी होंगी। सेवारत शिक्षकों को दिनांक 31 मार्च, 2019 तक न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की उत्तरी क्षेत्रीय समिति (एनआरसी) द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त 18 महीने का डीएलएड (ओडीएल) पाठ्यक्रम दिनांक 22 सितंबर, 2017 के अपने आदेश के माध्यम से एनआईओएस द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2017-2019 के दौरान शुरू किया गया था। कार्यक्रम में नामांकन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है: -

i. डीएलएड कार्यक्रम की अवधि 18 महीने की रहेगी, जिसमें 6 महीने की इंटर्नशिप अवधि शामिल होगी। इस इंटर्नशिप को शामिल कर लिया गया है क्योंकि सभी प्रशिक्षु व्यावहारिक गतिविधियों जैसे स्कूल आधारित गतिविधियों, कार्यशाला आधारित गतिविधियों – I और II, और अभ्यास शिक्षण में एक साथ अपने कार्यस्थलों के कार्यों में लगे होंगे जहां वे वर्तमान में पढ़ा रहे हैं।
ii. कार्यक्रम विशेष रूप से सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, या गैर-सहायता प्राप्त निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिन्हें दिनांक 10 अगस्त 2017 को या उससे पहले नियुक्त किया गया था।
iii. एनसीटीई अधिनियम और विनियम, 2014 के सभी प्रावधान एनसीटीई विनियम, 2014 के खंड 12 के तहत छूट को छोड़कर लागू होते हैं।

जैसा कि एनआईओएस द्वारा सूचित किया गया है, लगभग 11.51 लाख सेवारत शिक्षकों ने सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है।

आरंभ में, 18 महीने के डी.एल.एड. (ओडीएल) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित पाठ्यक्रम की परिकल्पना सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण कार्य कराने वाले प्रारंभिक शिक्षकों को आवश्यक अर्हताएं प्राप्त करने के अवसर के साथ सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। वर्ष 2019 के सीडब्ल्यूजेसी संख्या 19842 में पटना स्थित माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, विभाग और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने सभी राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों को एनआईओएस द्वारा आयोजित 18 महीने के डीएलएड (ओडीएल) पाठ्यक्रम के सफल उम्मीदवारों पर विचार करने के लिए परिचालित किया गया था। तथापि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2022 के एसएलपी (सी) संख्या 23583-84 में दिनांक 28.11.2023 को जारी निर्णय के तहत माना है कि 18 महीने का डीएलएड (ओडीएल) नियमित 2 साल के डीएलएड पाठ्यक्रम के बराबर नहीं है।

*****